REOUTRE IN THE NAME OF THE MAY CONCERN TO ALLOW THE PROTECTION OF WHICH HE OR THESE ARE TO REOUEST AND PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDIA ALL THOSE WHOM IT BEARER TO PASS FREELY WITHOUT LET OR HINDRANCE IND TO AFFORD HIM OR HER ASSISTANCE EVERY

SHE MAY STAND IN NEED. डसके दुवारा, शास्त गणराज्य के राष्ट्रपति कि वे शास्क को विना किसी रोक-टोक के स्वतंत्र हप से आने-जाने हैं, के नाम पर, उन सभी से जिनका इससे संबंध हो, अनुरोध एवं अपेक्षा की जाती और उसे हर तरह की ऐसी सहायता और सुरक्षा प्रदान करें जिसकी उसे आवश्यकता हो

BY ORDER OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDIA भारत गणाराज्य के राष्ट्रपति के आदेश से



artasa/Superintendent

Passport Office, Hyderabar

पासपोट कायालय,

INDIA REPUBLIC OF भारत गणराज्य

उपनाम / Surname MOOLE

टाईप / Type

राष्ट्र कोड / Country Code IND

पासपोर्ट नं./ Passport No.

J9841059

दिया गया नाम / Given Name(s)

MADHANMOHAN REDDY

राष्ट्रीयता / Nationality

लिंग / Sex

जन्मतिथि / Date of Birth

INDIAN

30/06/1990

जन्म स्थान / Place of Birth

MYDUKUR

जारी करने का स्थान / Place of Issue

HYDERABAD

makey michay Roll

जारी करने की तिथि / Date of Issue 7/11/2011

समाप्ति की तिथि / Date of Expiry 16/11/2021

P<INDMOOLE<<MADHANMOHAN<REDDY<<<<<<< J9841059<1IND9006304M2111164<<<<<<<<

36

LOSS, THERY OR DESTRUCTION OF THIS PASSPORT SHOULD BE IMMEDIATELY REPORTED TO THE NEAREST PASSPORT AUTHORITY IN NUDIA OR IF THE HOLDER IS ABROAD, TO THE MEAREST INDIAN MISSION/POST AND TO THE LOCAL POLICE. ONLY AFTER EXHAUSTIVE ENQUIRIES SHALL A DUPLICATE PASSPORT BE ISSUED.

THIS PASSPORT SHOULD NOT BE SENT OUT OF ANY COUNTRY BY POST. THIS SHOULD BE IN THE CUSTODY ETTHER OF THE HOLDER OR OF A PERSON AUTHORISED BY THE HOLDER. IT MUST NOT BE ALTERED OR MUTILATED IN ANY WAY.

THIS PASSPORT IS THE PROPERTY OF THE GOVERNMENT OF MUDIA. ANY COMMUNICATION RECEIVED BY THE HOLDER FROM PASSPORT AUTHORITY REGARDING THIS PASSPORT, INCLUDING DEMAND FOR ITS SURRENDER, SHOULD BE COMPLIED WITH MMEDIATELY.

## CAUTION

INDIAN CITIZENS RESIDENT ABROAD ARE ADVISED TO REGISTER THEMSELVES AT THE NEAREST INDIAN MISSION/POST.

# REGISTRATION

षासपोर्ट गुम हो जाने, घोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने पर उसकी सूचना भारत में सबसे निकटतम णासपोर्ट अधिकारी को अथवा यदि पासपोर्ट धारक विदेश में है तो निकटतम भारतीय मिशन/केन्द्र और स्थानीय पुलिस को तत्काल दी बानी चाहिए। विस्तृत पूछताछ के बाद ही डुप्लीकेट पासपोर्ट जारी किया जाएगा।

यह पासपोर्ट डाक द्वारा किसी भी देश से बाहर न भेजा जाए । यह पासपोर्ट धारक या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के कब्बे में ही होना चाहिए । इसमें किसी भी प्रकार का फेरबदल या विकृति नहीं को जानी चाहिए । पासपोर्ट गुम हो जाने, चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने पर उसकी सूचना भारत में सबसे निकटतम पासपोर्ट अधिकारी को अथवा यदि पासपोर्ट धारक विदेश में है तो निकटतम भारतीय खड़ पासपोर्ट भारत सरकार की सम्पत्ति है। इस पासपोर्ट के बारे में किसी पासपोर्ट अधिकारी से इसके धारक को यदि कोई सूचना मिलती है जिसमें पासपोर्ट लौटाने की मांग भी शामिल है तो उसका तुरंत अनुपालन किया जाए। पजीकरण विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों को सलाइ दी जाती है कि वे निकटतम भारतीय मिशन केन्द्र में अपना पंजीकरण करवाएं।

पिता / कानूनी अभिभावक का नाम / Name of Father / Legal Guardian

### MOOLE MYSURA REDDY

माता का नाम / Name of Mother

### MOOLE SUBBAMMA

पति या पत्नी का नाम / Name of Spouse

पता / Address

14-14-284-8-1, MYDUKUR (M)

MYDUKUR (M)

KADAPA DIST. A.P.

पुराने पासपोर्ट का नं. और इसके जारी होने की तिथि एवं स्थान / Old Passport No. with Date and Place of Issue

फाईल नं./ File No.

HYDZ80148711